



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29072021-228493
CG-DL-W-29072021-228493

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, जुलाई 11—जुलाई 17, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 20—आषाढ़ 26, 1943
No. 15] NEW DELHI, JULY 11– JULY 17, 2021, SATURDAY / ASHADHA 20 – ASHADHA 26, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

आ.अ. 162.— यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री हितेश कुमार ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा

77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जय प्रकास जनता दल के अभ्यर्थी, **श्री हितेश कुमार** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री हितेश कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.08.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री हितेश कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री हितेश कुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.01.2020 के अपने पत्र सं- DEO(EAST)/10(178)/MISC./2020/1373 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 09.09.2020 और 24.12.2020 के अपने पत्र सं. DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80 और DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **श्री हितेश कुमार**, निवासी-मकान न0-103, सैक्टर-51, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301 ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री हितेश कुमार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री हितेश कुमार**, निवासी- मकान न0-103, सैक्टर-51, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ.अनु.-॥/दि.-लोक सभा/03/2019]

आदेश से,
अजय कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

O.N. 162.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **03-East Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated **16.04.2019** and **Sh Hitesh Kumar** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No.CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated **09.07.2019**, **Sh Hitesh Kumar**, **Jai Prakash Janta Dal** contesting candidate from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses **in manner required by law**.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated 06.08.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh Hitesh Kumar** for non submission of account of Election expenses in the manner required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 06.08.2019**, **Sh Hitesh Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh Hitesh Kumar** on **18-08-2019** and Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter No. **DEO(EAST)/10(178)/Misc/2020/1373 dated 19.01.2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM Election East, Delhi District** vide his letter No. **DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80 dated 09.09.2020** and **DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67 dated 24.12.2020** it has been stated that **Sh Hitesh Kumar**, resident of H.No.B-103, Sector-51, Noida, Uttar Pradesh, Pin-201301 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Sh Hitesh Kumar**, has failed to lodge an account of election expenses **in manner required by law** and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of the state of NCT of Delhi to be disqualified **Sh Hitesh Kumar**, resident of H.No.B-103, Sector-51, Noida, Uttar Pradesh, Pin-201301 for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019]

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

आ.अ. 163.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री रहमुद्दीन शाह ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री रहमुद्दीन शाह विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री रहमुद्दीन शाह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.08.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री रहमुद्दीन शाह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री रहमुद्दीन शाह द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2019 और 31.12.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.01.2020 और 04.02.2021 के अपने पत्र सं- DEO(EAST)/10(178)/MISC./2020/1373, DEO (EAST)/10(178)/MISC./2020/1591 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 09.09.2020 और 24.12.2020 के अपने पत्र सं. DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80, DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री रहमुद्दीन शाह, निवासी-मकान न0-डी-59/1, ब्लॉक-डी, बाटला हाऊस, दिल्ली-110032 ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रहमुद्दीन शाह निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री रहमुद्दीन शाह निवासी- मकान न.-डी-59/1, ब्लॉक-डी, बाटला हाऊस, दिल्ली-110032 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ.अनु.-II/दि.-लोक सभा/03/2019]

आदेश से,
अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

O.N. 163.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **03-East Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated 16.04.2019 and Shri Rahimudin Shah, had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/4970** dated **09.07.2019**, **Sh. Rahimudin Shah** independent contesting candidate from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated 06.08.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Rahimudin Shah**, for non submission of account of Election expenses in the manner required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 06.08.2019 and **Sh. Rahimudin Shah**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by Shabnam spouse of the contesting candidate dated on 18-08-2019 and 31-12-2019 and Acknowledgment receipt obtained from the spouse of the candidate has been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter No. **DEO (East)/10(178) /Mic./2020 /1373** dated **19.01.2021** and No. **DEO (East)/10(178) /Mic./2020 /1591** dated **04-02-2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by SDM Election East, Delhi District vide his letter No. **DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80** dated 09.09.2020 and **DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67** dated 24-12-2020 it has been stated that **Sh. Rahimudin Shah**, resident of H.No. D-59/1, Block-D, Batla house, Delhi-110032 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Sh. Rahimudin Shah**, has failed to lodge an account of election expenses in manner required by law and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 03-East Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified **Sh. Rahimudin Shah**, resident of **H.No. D-59/1, Block-D, Batla house, Delhi-110032** for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019]

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

आ.अ.164.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के **03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री सतीश कुमार प्रजापति** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले मजदूर किरायेदार विकास पार्टी के अभ्यर्थी, **श्री सतीश कुमार प्रजापति** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री सतीश कुमार प्रजापति** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **06.08.2019** जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री सतीश कुमार प्रजापति** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः **श्री सतीश कुमार प्रजापति** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.01.2020 के अपने पत्र सं- DEO (EAST)/10(178)/MISC./ 2020/1373 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 09.09.2020 के अपने पत्र सं. DEO (EAST)10(172)/ MISC./ 2019/6879-80 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री सतीश कुमार प्रजापति, निवासी-मकान न0-504, प्रेमवती गली, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सतीश कुमार प्रजापति निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सतीश कुमार प्रजापति, निवासी- मकान न0-504, प्रेमवती गली, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ.अनु.-11/दि.-लोक सभा/03/2019]

आदेश से,
अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

O.N. 164.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **03-East Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated 16.04.2019 and **Shri Satish Kumar Prajapati**, had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019, **Shri Satish Kumar Prajapati, Majdoor Kirayedar Vikas Party** contesting candidate from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated 06.08.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Satish Kumar Prajapati** for non submission of account of Election expenses in the manner required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above

said Show Cause Notice dated 06.08.2019, **Shri Satish Kumar Prajapati** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by **Keshav son of Shri Satish Kumar Prajapati on 18-08-2019**,. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter No. **DEO (EAST) ACCTTS/3(5)/2018/1370 dated 19.01.2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM Election East, Delhi District** vide his letter No. **DEO (EAST) 10(172)/MISC./2019/6879-80 dated 09.09.2020**, it has been stated that **Shri Satish Kumar Prajapati** resident of H.No. 504, Premwati Gali, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Shri Satish Kumar Prajapati** has failed to lodge an account of election expenses **manner required by law** and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Satish Kumar Prajapati** resident of H.No. 504, Premwati Gali, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019]

By Order,
AJOY KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

आ.अ. 165.— यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 60-कृष्णानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 09.01.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा विधानसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री चरनजीत (आपकी अपनी पार्टी)** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. **CEO/COE/102/(87/DLA-20/Scr.Rep/2020/88124** दिनांक **03.06.2020** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **60- कृष्णानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले (आपकी अपनी पार्टी) के अभ्यर्थी, **श्री चरनजीत** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई

लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री चरनजीत** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **10.09.2020** जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **10.09.2020** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री चरनजीत** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः अभ्यर्थी के भाई श्री राजकुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक **15.09.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक **16.09.2020** के अपने पत्र सं- DEO(EAST)/10(172)/MISC./2020/6913-14 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक **12.02.2021** के अपने पत्र सं. DEO (EAST)10(172)/MISC./2019/674 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री चरनजीत, निवासी-मकान न0-1/1, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031 ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री चरनजीत** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 60-कृष्णानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री चरनजीत**, निवासी-मकान न0-1/1, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ.अनु.-॥/दि.-वि.सभा/60/2020]

आदेश से,
अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2021

O.N. 165.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi **60-Krishna Nagar Assembly Constituency** vide its Notification dated 09.01.2020 and **Shri Charanjeet, Apki Apni Party (Peoples)** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, West Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/COE/102/(87)/DLA-20/Scr.Rep/2020/88124** dated **03.06.2020**, **Shri Charanjeet, Apki Apni Party (Peoples)**, contesting candidate from **60-Krishna Nagar Assembly Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge an account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, West Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **10-09-2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Charanjeet**, for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 10-09-2020, **Shri Charanjeet**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same before District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Raj Kumar brother of **Shri Charanjeet**, on 15-09-2020. Acknowledgment receipt obtained from Sh. Rajkumar has been submitted to the Commission by SDM (E) East Delhi vide his letter No. F. DEO (East)/10(172)/Misc.2020/6913-14 dated **16.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by SDM(E), West Delhi vide his letter No. F.DEO (East)/10(172)/Misc./2019/674 dated **12.02.2021**. It has been stated that **Shri Charanjeet**, resident of **House No 1/1 Geeta Colony, Delhi 110031**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice of the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Charanjeet** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Charanjeet**, resident of **House No 1/1 Geeta Colony, Delhi 110031**, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 from 60-Krishna Nagar Assembly Constituency to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-LA/60//2020]

By Order,
AJOY KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

आ.अ. 166.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 20-बड़काठा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2020 के पत्र सं 42/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी, 2020 के पत्र सं. 01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार श्री अमित कुमार यादव जो झारखण्ड के 20-बड़काठा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमित कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमित कुमार यादव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अमित कुमार यादव के पत्र द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक 22 मार्च, 2021 के पत्र सं 166/ निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हजारीबाग द्वारा अपने दिनांक 14 जून, 2021 के पत्र सं 01/नि० (वि.स.)-16-03/2020/1520 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमित कुमार यादव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अमित कुमार यादव निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

“निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 20-बड़काठा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अमित कुमार यादव, ग्राम-छुतहरी कटिया, पो-बरकनगांगो, थाना-बरकट्टा, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. झार.-वि.स./पूर्व अनु-1/20/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2021

O.N. 166.—WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019**.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **20-Barkatha** Assembly Constituency in Jharkhand State on 23rd December, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. 42/निर्वा. dated **25th January, 2020** submitted by the District Election Officer, **Hazaribagh** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No.01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, dated 3rd February, 2020, **Sh. Amit Kumar Yadav**, an **Independent** contesting candidate from **20-Barkatha Assembly Constituency** in Jharkhand State, has failed to lodge any account of her election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Hazaribagh, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated 3rd March, 2021 was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Amit Kumar Yadav**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **3rd March, 2021**, **Sh. Amit Kumar Yadav**, was directed to submit her representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge her accounts of election expenses/rectify the defects in her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Amit Kumar Yadav**, on 20th March, 2021. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter 166/ निर्वा. dated **22nd March, 2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Hazaribagh vide his letter 01/नि0 (वि.स.)-16-03/2020/1520 dated **14th June, 2021** it has been stated that **Sh. Amit Kumar Yadav**, has not submitted any representation or her account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Amit Kumar Yadav**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

"Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Amit Kumar Yadav**, resident of **Village- Chhutahari Katiya, PO- Barkangango, PS-Barkatha, Dist-Hazaribagh, Jharkhand** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **20-Barkatha Assembly Constituency** of the State of Jharkhand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. JKD-LA/ES-I/20/2019]

By Order,
ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 167.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **13-जुक्कल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 13-जुक्कल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा **11 दिसम्बर, 2018** को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **10 जनवरी, 2019** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कामारेड्डी** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 18 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **जी. श्रीनिवास**, जो तेलंगाना से 13 - जुक्कल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **जी. श्रीनिवास** को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. **76/तेलं.-विस/2019** जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **जी. श्रीनिवास** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कामारेड्डी** को निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामारेड्डी ने बताया है कि **जी. श्रीनिवास** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कामारेड्डी** ने दिनांक **22.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **जी. श्रीनिवास** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **जी. श्रीनिवास** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **जी. श्रीनिवास** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के 13 - जुक्कल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **जी. श्रीनिवास** निवासी-मकान नं. 1-6 बुडगजंगम कालोनी, पितलाम ग्राम एवं मंडल,

कामारेड्डी जिला इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 167.—WHEREAS, the General Election for 13-Jukkal (SC) Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 13-Jukkal (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on **11th December, 2018** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **10th January, 2019**; and

WHEREAS, as per the report dated 18th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Kamareddy District, Telangana, **G. Srinivas**, a contesting candidate from 13-Jukkal (SC) Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/TEL-LA/2019**, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **G. Srinivas**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **G. Srinivas**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Kamareddy within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kamareddy, has reported that the said notice was served to **G. Srinivas**, on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kamareddy in his supplementary report, dated 22.06.2021 reported that **G. Srinivas**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **G. Srinivas**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **G. Srinivas**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **G. Srinivas**, resident of - **H. No. 1-6 Budagajangam Colony, Pitlam village & Mandal, Kamareddy District** and a contesting candidate from 13-Jukkal (SC) Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 168.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **23-रामागुन्डम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **23- रामागुन्डम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पेड्डापल्ली** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **19 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **थोटा वेणु**, जो तेलंगाना से **23-रामागुन्डम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत को **थोटा वेणु** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. **76/तेलं.-विस /2019** जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **थोटा वेणु**, को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, को निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पेड्डापल्ली** ने बताया है कि **थोटा वेणु**, को उक्त नोटिस दिनांक **17.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पेड्डापल्ली** ने दिनांक **21.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **थोटा वेणु** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **थोटा वेणु** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **थोटा वेणु**, अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **23-रामागुन्डम** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **थोटा वेणु**, निवासी-मकान नं. **16-2-54**, शिवाजीनगर गोदावरीखानी रामागुन्डम

पेड्डापल्ली जिला इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 168.—WHEREAS, the General Election for **23-Ramagundam** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **23-Ramagundam** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **19th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Peddapalli** District, Telangana, **Thota Venu**, a contesting candidate from **23-Ramagundam** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Thota Venu**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Thota Venu**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Peddapalli** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Peddapalli**, has reported that the said notice was served to **Thota Venu**, on **17.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Peddapalli** in his supplementary report, dated **21.06.2021** reported that **Thota Venu**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Thota Venu**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Thota Venu**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Thota Venu**, resident of **H. No. 16-2-54, Shivajinagar, Godavarikhani, Ramagundam, Peddapally District** and a contesting candidate from **23-Ramagundam** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 169.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **26-करीमनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **26-करीमनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **करीमनगर** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **21 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **कानुगुला नवीन कुमार**, जो तेलंगाना से **26-करीमनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कानुगुला नवीन कुमार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. **76/तेलं.-विस /2019** जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कानुगुला नवीन कुमार** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **करीमनगर** को निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **करीमनगर** ने बताया है कि **कानुगुला नवीन कुमार** को उक्त नोटिस दिनांक **15.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **करीमनगर** ने दिनांक **22.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कानुगुला नवीन कुमार** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **कानुगुला नवीन कुमार** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कानुगुला नवीन कुमार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **26-करीमनगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **कानुगुला नवीन कुमार** निवासी-मकान नं. **1-6-227/13/8**, मोहन नगर, रामनगर,

मुशीराबाद, हैदराबाद जिला इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 169.—WHEREAS, the General Election for **26-Karimnagar** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **26-Karimnagar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **21st January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Karimnagar** District, Telangana, **Kanugula Naveen Kumar**, a contesting candidate from **26-Karimnagar** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Kanugula Naveen Kumar** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Kanugula Naveen Kumar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Karimnagar** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Karimnagar**, has reported that the said notice was served to **Kanugula Naveen Kumar** on **15.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Karimnagar** in his supplementary report, dated **22.06.2021** reported that **Kanugula Naveen Kumar** has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Kanugula Naveen Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Kanugula Naveen Kumar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kanugula Naveen Kumar** resident of **H. No. 1-6-227/13/8, Mohan Nagar, Ramnagar, Musheerabad, Hyderabad District** and a contesting candidate from **26-Karimnagar** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 170.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **42-गजवेल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **42-गजवेल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिद्दीपेट** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **21 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **कादियम कुपाकर**, जो तेलंगाना से **42-गजवेल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कादियम कुपाकर** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-विस/2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कादियम कुपाकर** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिद्दीपेट** को निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिद्दीपेट** ने बताया है कि **कादियम कुपाकर** को उक्त नोटिस दिनांक **16.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिद्दीपेट** ने दिनांक **21.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कादियम कुपाकर** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **कादियम कुपाकर** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कादियम कुपाकर** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **42-गजवेल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **कादियम कुपाकर** निवासी-मकान नं. 11-115, शिवाजीनगर, नाकेरकल ग्राम एवं मंडल,

नालागोंडा जिला इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 170.—WHEREAS, the General Election for **42-Gajwel** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **42-Gajwel** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **21st January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Siddipet** District, Telangana, **Kadium Krupakar**, a contesting candidate from **42-Gajwel** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Kadium Krupakar** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Kadium Krupakar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Siddipet** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Siddipet**, has reported that the said notice was served to **Kadium Krupakar** on **16.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Siddipet** in his supplementary report, dated **21.06.2021** reported that **Kadium Krupakar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Kadium Krupakar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Kadium Krupakar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kadium Krupakar**, resident of **H. No. 11-115 Shivajinagar, Nakrekal Village & Mandal, Nalgonda District**. and a contesting candidate from **42-Gajwel** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 171.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **44- मलकाजगिरी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचन अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **44- मलकाजगिरी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेडचल मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक -- **जनवरी, 2019** की रिपोर्ट न. एच आई/3343/2018 के अनुसार **बी. रवि कान्थ**, जो **44- मलकाजगिरी** तेलंगाना से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत को **बी. रवि कान्थ** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. **76/तेलं.-विस /2019** जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **बी. रवि कान्थ**, को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, को निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मेडचल मलकाजगिरी** ने बताया है कि **बी. रवि कान्थ**, को उक्त नोटिस दिनांक **17.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मेडचल मलकाजगिरी** ने दिनांक **21.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बी. रवि कान्थ** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत **बी. रवि कान्थ** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बी. रवि कान्थ**, अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **44- मलकाजगिरी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **बी. रवि कान्थ**, निवासी-मकान नं. **11-160/194**, बी जे आर नगर, मलकाजगिरी इस

आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 171.—WHEREAS, the General Election for **44-Malkajgiri** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **44-Malkajgiri** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report No. HI/3343/2018 dated -01.2019 submitted by the District Election Officer, **Medchal-Malkajgiri** District, Telangana, **B. Ravi Kanth**, a contesting candidate from **44-Malkajgiri** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **B. Ravi Kanth** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **B. Ravi Kanth** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Medchal-Malkajgiri** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Medchal-Malkajgiri**, has reported that the said notice was served to **B. Ravi Kanth** on 17.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Medchal-Malkajgiri** in his supplementary report, dated 21.06.2021 reported that **B. Ravi Kanth** has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **B. Ravi Kanth** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **B. Ravi Kanth** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **B. Ravi Kanth**, resident of **11-160/194, BJR Nagar, Malkajgiri** and a contesting candidate from **44-Malkajgiri** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 172.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **लक्ष्मण नाईक रामावथ**, जो तेलंगाना से **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **लक्ष्मण नाईक रामावथ** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **लक्ष्मण नाईक रामावथ** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **लक्ष्मण नाईक रामावथ** को उक्त नोटिस दिनांक **20.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **लक्ष्मण नाईक रामावथ** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **लक्ष्मण नाईक रामावथ** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **लक्ष्मण नाईक रामावथ** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.) –**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **लक्ष्मण नाईक रामावथ** निवासी-मकान नं. 2-98, वासराम थान्डा एच/ओ देवाथपल्ले गांव, नामपल्ले मण्डल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 172.—WHEREAS, the General Election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Laxman Naik Ramavath**, a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Laxman Naik Ramavath** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Laxman Naik Ramavath** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Laxman Naik Ramavath** on 20.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Laxman Naik Ramavath** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Laxman Naik Ramavath** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Laxman Naik Ramavath** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Laxman Naik Ramavath**, resident of **H. No. 2-98, Vasram Thanda H/o Devathpally Village, Nampally Mandal**, and a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 173.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **कातरावथ वेंकटेश**, जो तेलंगाना से **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कातरावथ वेंकटेश** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कातरावथ वेंकटेश** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **कातरावथ वेंकटेश** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कातरावथ वेंकटेश** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **कातरावथ वेंकटेश** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कातरावथ वेंकटेश** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.) –**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, कातरावथ वेंकटेश निवासी-मकान नं. 2-105, शामलाबाई थान्डा एच/ओ चेरकुपल्ले गांव गुन्डलापल्ले मण्डल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 173.—WHEREAS, the General Election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Katravath Venkatesh**, a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Katravath Venkatesh** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Katravath Venkatesh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Katravath Venkatesh** on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Katravath Venkatesh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Katravath Venkatesh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Katravath Venkatesh** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Katravath Venkatesh**, resident of **H. No. 2-105, Shamalabai thanda H/o Cherkupalli Village Gundlapally Mandal**, and a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 174.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **86 – देवराकोंडा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **86 – देवराकोंडा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** रिपोर्ट के अनुसार **भोज्या नाईक रामावथ**, जो तेलंगाना से **86 – देवराकोंडा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **भोज्या नाईक रामावथ** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **भोज्या नाईक रामावथ** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि उक्त नोटिस दिनांक **20.08.2020** को **भोज्या नाईक रामावथ** के सुपुत्र **भोज्या नायक रामावथ** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **भोज्या नाईक रामावथ** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **भोज्या नाईक रामावथ** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **भोज्या नाईक रामावथ** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **86 – देवराकोंडा (अ.ज.जा.)** – विधान

सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **भोज्या नाईक रामावथ** निवासी-मकान नं. 2-87, **येरगुन्टा थान्डा एच/ओ मल्लापुरम गांव, पी. ए. पल्ले मण्डल** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 174.—WHEREAS, the General Election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Bhojya Naik Ramavath**, a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Bhojya Naik Ramavath** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Bhojya Naik Ramavath** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Sri Bhojya Nayak Ramavath, son of Sri Bhojya Naik Ramavath** on 20.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Bhojya Naik Ramavath** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Bhojya Naik Ramavath** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Bhojya Naik Ramavath** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Bhojya Naik Ramavath**, resident of **H.No. 2-87, Yerragunta Thanda H/o Mallapuram Village, P.A.Pally Mandal**, and a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 175.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **कोनरेड्डी पोचैयाह**, जो तेलंगाना से **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कोनरेड्डी पोचैयाह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कोनरेड्डी पोचैयाह** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **कोनरेड्डी पोचैयाह** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कोनरेड्डी पोचैयाह** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **कोनरेड्डी पोचैयाह** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कोनरेड्डी पोचैयाह** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** – विधान

सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, कोनरेड्डी पोचैयाह निवासी-मकान नं. 1-78, कुरमेद गांव, चिन्तापल्ले मण्डल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 175.—WHEREAS, the General Election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Konreddy Pochaiah**, a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Konreddy Pochaiah** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Konreddy Pochaiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Konreddy Pochaiah** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Konreddy Pochaiah** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Konreddy Pochaiah** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Konreddy Pochaiah** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Konreddy Pochaiah** resident of **H. No. 1-78, Kurmed Village, Chinthapally Mandal**, and a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 176.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **पान्डु रामावथ**, जो तेलंगाना से **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **पान्डु रामावथ** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **पान्डु रामावथ** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **पान्डु रामावथ** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **पान्डु रामावथ** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **पान्डु रामावथ** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **पान्डु रामावथ** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **86 – देवराकोन्डा (अ.ज.जा.)** – विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **पान्डु रामावथ** निवासी-मकान नं. 2-141/1, येरागुन्ता थान्डा मल्लापुरम गांव,

पेड्डा आदीसारलापल्ले मण्डल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 176.—WHEREAS, the General Election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Pandu Ramavath**, a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Pandu Ramavath** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Pandu Ramavath** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Pandu Ramavath** on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Pandu Ramavath** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Pandu Ramavath** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Pandu Ramavath** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Pandu Ramavath**, resident of **H. No. 2-141/1, Yerragunta thanda Mallapuram Village, Pedda Adisherlapalli Mandal**, and a contesting candidate from **86-Devarakonda (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 177.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **87 – नागार्जुन सागर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **87 – नागार्जुन सागर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **रतन कुमार गटेकाम्पु**, जो तेलंगाना से **87 – नागार्जुन सागर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **रतन कुमार गटेकाम्पु** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **रतन कुमार गटेकाम्पु** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **रतन कुमार गटेकाम्पु** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **रतन कुमार गटेकाम्पु** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **रतन कुमार गटेकाम्पु** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **रतन कुमार गटेकाम्पु** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **87 – नागार्जुन सागर – विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **रतन कुमार गटेकाम्पु** निवासी-मकान नं. 17-1-38/2V/1, पी. नं. 16, वैशाली नगर

चम्पापेट, सैदबाद, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य पिन-500079, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 177.—WHEREAS, the General Election for **87-Nagarjuna Sagar** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **87-Nagarjuna Sagar** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Rathan Kumar Gantekampu**, a contesting candidate from **87-Nagarjuna Sagar** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Rathan Kumar Gantekampu** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Rathan Kumar Gantekampu** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Rathan Kumar Gantekampu** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Rathan Kumar Gantekampu** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Rathan Kumar Gantekampu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Rathan Kumar Gantekampu** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Rathan Kumar Gantekampu** resident of **H. No. 17-1-38/2/V/1, P. No. 16, Vaishali Nagar Champapet, Saidbad, Hyd, Telangana State Pin. 500079**, and a contesting candidate from **87-Nagarjuna Sagar** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Telangana Legislative Assembly, 2018, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 178.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **गरिकापती राधाकृष्ण**, जो तेलंगाना से **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गरिकापती राधाकृष्ण** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **गरिकापती राधाकृष्ण** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **गरिकापती राधाकृष्ण** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गरिकापती राधाकृष्ण** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **गरिकापती राधाकृष्ण** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गरिकापती राधाकृष्ण** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **88 – मिरयालगुडा** – विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गरिकापती राधाकृष्ण** निवासी-मकान नं. 1-90-500, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,

मिरयालगुडा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 178.—WHEREAS, the General Election for **88-Miryalaguda** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **88-Miryalaguda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Garikapati Radhakrishna**, a contesting candidate from **88-Miryalaguda** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Garikapati Radhakrishna** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Garikapati Radhakrishna** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Garikapati Radhakrishna** on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Garikapati Radhakrishna** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Garikapati Radhakrishna** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Garikapati Radhakrishna** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Garikapati Radhakrishna**, resident of **H. No. 1-90-500, Housing Board Colony, Miryalaguda**, and a contesting candidate from **88-Miryalaguda** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 179.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **कोदावथ नागा नाईक**, जो तेलंगाना से **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कोदावथ नागा नाईक** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कोदावथ नागा नाईक** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि उक्त नोटिस को **कोदावथ नागा नाईक** के बड़े भाई के बेटे के. वेंतकेश्वरलु को दिनांक 19.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कोदावथ नागा नाईक** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **कोदावथ नागा नाईक** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कोदावथ नागा नाईक** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **88 – मिरयालगुडा – विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **कोदावथ नागा नाईक** निवासी-मकान नं. 2-128/33, वीरलापलेम (वी), दामराचेरला

(एम), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 179.—WHEREAS, the General Election for **88-Miryalaguda** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **88-Miryalaguda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Kodavath Naga Naik**, a contesting candidate from **88-Miryalaguda** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Kodavath Naga Naik** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Kodavath Naga Naik** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Sri K. Ventakeswarlu's son of elder brother of Kodavath Naga Naik** on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Kodavath Naga Naik** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Kodavath Naga Naik** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Kodavath Naga Naik** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kodavath Naga Naik**, resident of **H. No. 2-128/33, Veerlapalem (V), Damaracherla (M)**, and a contesting candidate from **88-Miryalaguda** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 180.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **धनवाथ लालू नाईक**, जो तेलंगाना से **88 – मिरयालगुडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **धनवाथ लालू नाईक** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **धनवाथ लालू नाईक** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **धनवाथ लालू नाईक** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **धनवाथ लालू नाईक** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **धनवाथ लालू नाईक** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **धनवाथ लालू नाईक** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **88 – मिरयालगुडा** – विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **धनवाथ लालू नाईक** निवासी-मकान नं. 7-97, दुदया थान्डा एच/ओ दिलवरपुर (वी),

दामराचेरला (एम), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 180.—WHEREAS, the General Election for **88-Miryalaguda** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **88-Miryalaguda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Dhanavath Lalu Naik**, a contesting candidate from **88-Miryalaguda** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Dhanavath Lalu Naik** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Dhanavath Lalu Naik** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Dhanavath Lalu Naik** on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Dhanavath Lalu Naik** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Dhanavath Lalu Naik** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Dhanavath Lalu Naik** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Dhanavath Lalu Naik**, resident of **H. No. 7-97, Dudy Thanda H/O Dilwarpur (V), Damarcherla(M)**, and a contesting candidate from **88-Miryalaguda** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 181.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** रिपोर्ट के अनुसार **गुलाम सुभानी**, जो तेलंगाना से **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गुलाम सुभानी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **गुलाम सुभानी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **गुलाम सुभानी** को उक्त नोटिस दिनांक **18.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **गुलाम सुभानी** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **गुलाम सुभानी** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और*

(ख) *उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,*

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गुलाम सुभानी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **92 – नालगोंडा** – विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गुलाम सुभानी** निवासी-मकान नं. 5-9-59, मनियामचलका, नालगोंडा, इस आदेश की

तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 181.—WHEREAS, the General Election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Gulam Subhani**, a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Gulam Subhani** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Gulam Subhani** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Gulam Subhani** on **18.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Gulam Subhani** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Gulam Subhani** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Gulam Subhani** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Gulam Subhani**, resident of **H. No. 5-9-59, Maniyamchalka, Nalgonda**, and a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 182.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** रिपोर्ट के अनुसार **कोंडा गणेश**, जो तेलंगाना से **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कोंडा गणेश** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कोंडा गणेश** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **कोंडा गणेश** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कोंडा गणेश** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **कोंडा गणेश** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कोंडा गणेश** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **92 – नालगोंडा** – विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **कोंडा गणेश निवासी-मकान नं. 2-99/1, पुरानी 3-49, अम्मागुडेम कनागल मंडल** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 182.—WHEREAS, the General Election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Konda Ganesh**, a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Konda Ganesh** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Konda Ganesh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Konda Ganesh** on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Konda Ganesh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Konda Ganesh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Konda Ganesh** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Konda Ganesh**, resident of **H. No. 2-99/1, Old 3-49, Ammagundem, Kanagal Mandal** and a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of

either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 183.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** रिपोर्ट के अनुसार **एस. के. इब्राहिम**, जो तेलंगाना से **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **एस. के. इब्राहिम** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **एस. के. इब्राहिम** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **एस. के. इब्राहिम** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **एस. के. इब्राहिम** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **एस. के. इब्राहिम** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि एस. के. इब्राहिम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **92 – नालगोंडा – विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, एस. के. इब्राहिम निवासी-मकान नं. **19-96/2, वासावी नगर, नाकेरकल गांव एवं मण्डल 508211** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 183.—WHEREAS, the General Election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **S. K. Ebrahim**, a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **S. K. Ebrahim** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **S. K. Ebrahim** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **S. K. Ebrahim** on **19.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **S. K. Ebrahim** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **S. K. Ebrahim** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **S. K. Ebrahim** has

failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **S. K. Ebrahim**, resident of **H. No. 19-96/2, Vasavi Nagar, Nakrekal village & Mandal 508211**, and a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 184.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **कादियम कृपाकर**, जो तेलंगाना से **92 – नालगोंडा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2018 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कादियम कृपाकर** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण - बताओ नोटिस सं. 76/तेलं.-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कादियम कृपाकर** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** को निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने बताया है कि **कादियम कृपाकर** को उक्त नोटिस दिनांक **19.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नालगोंडा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **कादियम कृपाकर** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **कादियम कृपाकर** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में

विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **कादियम कृपाकर** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **92 – नालगोंडा –** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **कादियम कृपाकर** निवासी-मकान नं. 11-115, शिवाजी नगर, नाकरेकल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 184.—WHEREAS, the General Election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **92-Nalgonda** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Nalgonda** District, Telangana, **Kadium Krupakar**, a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Kadium Krupakar** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Kadium Krupakar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Kadium Krupakar** on 19.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Kadium Krupakar** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Kadium Krupakar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Kadium Krupakar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kadium Krupakar**, resident of **H.No. 11-115, Shivaji Nagar, Nakrekal**, and a contesting candidate from **92-Nalgonda** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 185.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **95-नकरेकल (अ. जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 95- नकरेकल (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नलगोन्डा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **वांटेपाका स्वरूपरानी**, जो तेलंगाना से विधान सभा, 2018 के **95-नकरेकल (अ. जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **वांटेपाका स्वरूपरानी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-वि. स./2019/ जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **वांटेपाका स्वरूपरानी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नलगोन्डा** को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नलगोन्डा** ने बताया कि **वांटेपाका स्वरूपरानी** को उक्त नोटिस दिनांक **20.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नलगोन्डा** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **वांटेपाका स्वरूपरानी** ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **वांटेपाका स्वरूपरानी** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही

कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की **वांटेपाका स्वरूपरानी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **95-नकरेकल (अ. जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **वांटेपाका स्वरूपरानी**, निवासी-मकान नं. 5-1, थुंगाथूर्थी ग्राम, केथेपल्ले (एम), नलगोन्डा जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 185.—WHEREAS, the General Election for **95-Nakrekal (SC)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **95-Nakrekal (SC)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd January, 2019 submitted by the District Election Officer, Nalgonda District, Telangana, **Vantepaka Swarooparani**, a contesting candidate from **95-Nakrekal (SC)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Vantepaka Swarooparani** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Vantepaka Swarooparani** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Nalgonda within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Nalgonda, has reported that the said notice was served to **Vantepaka Swarooparani** on 20.08.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Vantepaka Swarooparani** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Vantepaka Swarooparani** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Vantepaka Swarooparani** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Vantepaka Swarooparani**, resident of **H. No. 5-1, Thungathurthy Village, Kethepally (M), Nalgonda Dist**, and a contesting candidate from **95-Nakrekal (SC)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 186.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **95-नकरेकल (अ. जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **95-नकरेकल (अ. जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **नलगोन्डा** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **कसरला लिंगैय्या**, जो तेलंगाना से विधान सभा, 2018 के **95-नकरेकल (अ. जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **कसरला लिंगैय्या** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-वि. स./2019/ जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **कसरला लिंगैय्या** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **नलगोन्डा** को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नलगोन्डा ने बताया कि कसरला लिंगैय्या को उक्त नोटिस दिनांक 20.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नलगोन्डा ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि कसरला लिंगैय्या ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी कसरला लिंगैय्या ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि कसरला लिंगैय्या अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के 95-नकरेकल (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, कसरला लिंगैय्या, निवासी-मकान नं. 1-3-426/7, बंजाराहिल्स, भोंगिर, यादादरी भोंगिर जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 186.—WHEREAS, the General Election for 95-Nakrekal (SC) Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 95-Nakrekal (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 22nd January, 2019 submitted by the District Election Officer, Nalgonda District, Telangana, Kasarla Lingaiah, a contesting candidate from 95-Nakrekal (SC) Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Kasarla Lingaiah for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Kasarla Lingaiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Nalgonda** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda**, has reported that the said notice was served to **Kasarla Lingaiah** on **20.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nalgonda** in his supplementary report, reported that **Kasarla Lingaiah** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Kasarla Lingaiah** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Kasarla Lingaiah** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Kasarla Lingaiah**, resident of **H. No. 1-3-426/7, Banjarahills, Bhongir, Yadadri Bhongir Dist.**, and a contesting candidate from **95-Nakrekal (SC)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 187.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **97-अलेयर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **97-अलेयर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **यादरी भुवानगरी** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **19 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **रेगु आनंद**, जो तेलंगाना से विधान सभा, 2018 के **97-अलेयर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **रेगु आनंद** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-वि. स./2019/ जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **रेगु आनंद** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **यादरी भुवानगरी** को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **यादरी भुवानगरी** ने बताया कि **रेगु आनंद** को उक्त नोटिस दिनांक **18.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **यादरी भुवानगरी** ने दिनांक **24.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **रेगु आनंद** ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **रेगु आनंद** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **रेगु आनंद** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **97-अलेयर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **रेगु आनंद**, निवासी-मकान नं. 1-68 और 69 गौडलवाडा रहीमखानपेटा अथमाकुर (एम) मंडल यादादरी भोंगिर जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस/2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 187.—WHEREAS, the General Election for **97-Alair** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **97-Alair** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **19th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Yadadri**

Bhuvanagiri District, Telangana, **Regu Anand**, a contesting candidate from **97-Alair** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Regu Anand** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Regu Anand** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri**, has reported that the said notice was served to **Regu Anand** on **18.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Yadadri Bhuvanagiri** in his supplementary report, dated **24.06.2021** reported that **Regu Anand** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Regu Anand** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Regu Anand** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Regu Anand**, resident of **H. No. 1-68&69, Goundlawada, Raheemkhanpeta, Athmakur (M) Mandal, Yadadri Bhongir District**, and a contesting candidate from **97-Alair** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 188.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **98-जनगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **98-जनगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **19 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली**, जो तेलंगाना से विधान सभा, 2018 के **98-जनगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-वि. स./2019/ जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगांव को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगांव ने बताया कि श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली को उक्त नोटिस दिनांक 10.09.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगांव ने दिनांक 06.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. एच/948/2021 में यह बताया कि श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के 98-जनगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्रीनिवास रेड्डी शकमपल्ली, निवासी-मकान नं. 1-41, मनसनपल्ली (वी), बच्चनापेट मंडल जिला: जनगांव-506223, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 188.—WHEREAS, the General Election for 98-Jangaon Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 98-Jangaon Assembly Constituency was declared by the Returning

Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 19th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Jangaon** District, Telangana, **Srinivas Reddy Shakampally**, a contesting candidate from **98-Jangaon** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Srinivas Reddy Shakampally** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Srinivas Reddy Shakampally** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jangaon** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jangaon**, has reported that the said notice was served to **Srinivas Reddy Shakampally** on 10.09.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jangaon** in his supplementary report No. H/948/2021 dated __.06.2021 reported that **Srinivas Reddy Shakampally** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Srinivas Reddy Shakampally** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Srinivas Reddy Shakampally** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Srinivas Reddy Shakampally**, resident of **H. No. 1-41, Mansanpally (V), Bachannapet Mandal District : Jangaon-506223**, and a contesting candidate from **98-Jangaon** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 189.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे

और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **19 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **गारे वेंकटेश**, जो तेलंगाना से विधान सभा, 2018 के **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **गारे वेंकटेश** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-वि. स./2019/ जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **गारे वेंकटेश** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** ने बताया कि **गारे वेंकटेश** को उक्त नोटिस दिनांक **08.09.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** ने दिनांक --**06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं.एच/948/2021 में यह बताया कि **गारे वेंकटेश** ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **गारे वेंकटेश** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गारे वेंकटेश** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गारे वेंकटेश**, निवासी-मकान नं. **7-98**, **न्यू रायपारथी**, **रायपारथी** ग्राम और **मंडल वारंगल** ग्रामीण जिला, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 189.—WHEREAS, the General Election for **100-Palakurthy** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **100-Palakurthy** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **19th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Jangaon** District, Telangana, **Gare Venkatesh**, a contesting candidate from **100-Palakurthy** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause Notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Gare Venkatesh** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Gare Venkatesh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jangaon** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jangaon**, has reported that the said notice was served to **Gare Venkatesh** on **08.09.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jangaon** in his supplementary report No.H/948/2021 dated **___06.2021** reported that **Gare Venkatesh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Gare Venkatesh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Gare Venkatesh** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Gare Venkatesh**, resident of **H. No. 7-98, New Rayaparthi, Rayaparthi Village & Mandal Warangal Rural Dist.**, and a contesting candidate from **100-Palakurthy** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 190.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 100-पालाकुरथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगांव जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक 19 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिल्ला सुधीर रेड्डी, जो तेलंगाना से विधान सभा, 2018 के 100-पालाकुरथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत बिल्ला सुधीर रेड्डी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-वि. स./2019/ जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, बिल्ला सुधीर रेड्डी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगांव को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगांव ने बताया कि बिल्ला सुधीर रेड्डी को उक्त नोटिस दिनांक 08.09.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगांव ने दिनांक 25.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि बिल्ला सुधीर रेड्डी ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी बिल्ला सुधीर रेड्डी ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि बिल्ला सुधीर रेड्डी अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के 100-पालाकुरथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, बिल्ला सुधीर रेड्डी, निवासी-मकान नं. 6-92 रायपारथी ग्राम और मंडल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 190.—WHEREAS, the General Election for **100-Palakurthy** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **100-Palakurthy** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **19th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Jangaon** District, Telangana, **Billa Sudheer Reddy**, a contesting candidate from **100-Palakurthy** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Billa Sudheer Reddy** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Billa Sudheer Reddy** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jangaon** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jangaon**, has reported that the said notice was served to **Billa Sudheer Reddy** on **08.09.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jangaon** in his supplementary report, dated **25.06.2021**, reported that **Billa Sudheer Reddy** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Billa Sudheer Reddy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Billa Sudheer Reddy** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Billa Sudheer Reddy**, resident of **H. No. 6-92 Rayaparthi Village and Mandal**, and a contesting candidate from **100-Palakurthy** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 191.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना के **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **19 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **रामु बीरेल्ली**, जो तेलंगाना से विधान सभा, 2018 के **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **रामु बीरेल्ली** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/टीईएल-वि. स./2019/ जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **रामु बीरेल्ली** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** ने बताया कि **रामु बीरेल्ली** को उक्त नोटिस दिनांक **11.09.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जनगांव** ने दिनांक **_06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. एच/948/2021 में यह बताया कि **रामु बीरेल्ली** ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **रामु बीरेल्ली** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **रामु बीरेल्ली** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **100-पालाकुरथी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **रामु बीरेल्ली**, निवासी-मकान नं. 1-41 महबूब नगर, रायपारथी वारंगल ग्रामीण, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरह होंगे।

[फा. सं. 76/तेल.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 191.—WHEREAS, the General Election for **100-Palakurthy** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **100-Palakurthy** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 19th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Jangaon District, Telangana, **Ramu Beerelli**, a contesting candidate from **100-Palakurthy** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ramu Beerelli** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ramu Beerelli** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Jangaon within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Jangaon, has reported that the said notice was served to **Ramu Beerelli** on 11.09.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, Jangaon in his supplementary report No. H/948/2021 dated __.06.2021 reported that **Ramu Beerelli** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Ramu Beerelli** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Ramu. Beerelli** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ramu Beerelli**, resident of **H. No. 1-41 Mahabub Nagar, Rayaparthi Mandal Warangal Rural**, and a contesting candidate from **100-Palakurthy** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 192.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना की **102-महाबूबाबाद (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **102-महाबूबाबाद (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **महाबूबाबाद** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **11 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **प्रसाद दप्पू**, जो तेलंगाना के विधान सभा निर्वाचन, 2018 में **102-महाबूबाबाद (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **प्रसाद दप्पू** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/तेलं-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **प्रसाद दप्पू** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **महाबूबाबाद** को अपने निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **महाबूबाबाद** ने बताया है कि **प्रसाद दप्पू** को उक्त नोटिस दिनांक **12.10.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **महाबूबाबाद** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक **23.06.2021** की में यह बताया कि **प्रसाद दप्पू** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **प्रसाद दप्पू** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **प्रसाद दप्पू** अपने निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **102-महाबूबाबाद (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **प्रसाद दप्पू** निवासी- मकान नं. **7-1-70/41आर, सलार थांडा, महाबूबाबाद** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 192.—WHEREAS, the General Election for **102-Mahabubad (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **102-Mahabubad** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Mahabubabad** District, Telangana, **Prasad Dappu**, a contesting candidate from **102-Mahabubabad(ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Prasad Dappu** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Prasad Dappu** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mahabubabad** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mahabubabad**, has reported that the said notice was served to **Prasad Dappu** on **12.10.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mahabubabad** in his supplementary report, dated **23.06.2021** reported that **Prasad Dappu** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Prasad Dappu** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Prasad Dappu** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Prasad Dappu**, resident of **H. No. 7-1-70/41/R, Salar Thanda, Mahabubabad**, and a contesting candidate from **102-Mahabubabad (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union

Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 193.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना की **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **23 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **थाविती नारायण**, जो तेलंगाना के विधान सभा निर्वाचन, 2018 में **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **थाविती नारायण** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/तेलं-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **थाविती नारायण** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** को अपने निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** ने बताया है कि **थाविती नारायण** को उक्त नोटिस दिनांक **16.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** ने दिनांक **21.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **थाविती नारायण** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **थाविती नारायण** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और
- (ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **थाविती नारायण** अपने निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **थाविती नारायण** निवासी- मकान नं. **3-163, रैनीगुडेम गांव, मुलुग मंडल, जयशंकर भुपालपल्ले** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,
अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 193.—WHEREAS, the General Election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **23rd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** District, Telangana, **Thaviti Narayana**, a contesting candidate from **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Thaviti Narayana** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Thaviti Narayana** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally**, has reported that the said notice was served to **Thaviti Narayana** on **16.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** in his supplementary report, dated **21.06.2021** reported that **Thaviti Narayana** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Thaviti Narayana** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Thaviti Narayana** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Thaviti Narayana**, resident of **H. No. 3-163, Rainigudem Village, Mulug Mandal, Jayashankar Bhupalpally District**, and a contesting candidate from **109-Mulug (ST) Assembly Constituency** of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 194.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना की **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **23 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **बादी कृष्णा**, जो तेलंगाना के विधान सभा निर्वाचन, 2018 में **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बादी कृष्णा** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/तेलं-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बादी कृष्णा** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** को अपने निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** ने बताया है कि **बादी कृष्णा** को उक्त नोटिस दिनांक **17.08.2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** ने दिनांक **21.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बादी कृष्णा** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **बादी कृष्णा** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बादी कृष्णा** अपने निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बादी कृष्णा** निवासी- मकान नं. **3-26, ब्राह्मणापल्ले गांव, मन्गापेट मंडल, जयशंकर भुपालपल्ले जिला**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 194.—WHEREAS, the General Election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **23rd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** District, Telangana, **Badi Krishna**, a contesting candidate from **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Badi Krishna** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Badi Krishna** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally**, has reported that the said notice was served to **Badi Krishna** on **17.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** in his supplementary report, dated **21.06.2021** reported that **Badi Krishna** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Badi Krishna** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for

failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Badi Krishna** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Badi Krishna**, resident of **H. No. 3-26, Brahmanapally Village, Mangapet Mandal, Jayashankar Bhupalpally District**, and a contesting candidate from **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,
AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 195.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना की **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भूपालपल्ले** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **23 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **चेला वैकटा लक्ष्मी**, जो तेलंगाना के विधान सभा निर्वाचन, 2018 में **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **चेला वैकटा लक्ष्मी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/तेलं-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **चेला वैकटा लक्ष्मी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भूपालपल्ले** को अपने निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भूपालपल्ले** ने बताया है कि उक्त नोटिस **चेला वैकटा लक्ष्मी** के दामाद कब्बाला

आकाश को दिनांक **16 अगस्त, 2020** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** ने दिनांक **21.06.2021** की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **चेला वैंकटा लक्ष्मी** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी **चेला वैंकटा लक्ष्मी** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेख प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **चेला वैंकटा लक्ष्मी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **चेला वैंकटा लक्ष्मी** निवासी- **मकान नं.1-177/1/ए, चिन्नाबोईनापल्ली गांव, इतुरनागरम मंडल, जयशंकर भुपालपल्ले जिला-506165** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 195.—WHEREAS, the General Election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 23rd January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** District, Telangana, **Chela Venkata Laxmi**, a contesting candidate from **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Chela Venkata Laxmi** for not lodging of account of Election Expenses;

and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Chela Venkata Laxmi** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally**, has reported that the said notice was served to **Kabbala Akash, Son-in-law of Chela Venkata Laxmi** on **16.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** in his supplementary report, dated **21.06.2021** reported that **Chela Venkata Laxmi** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Chela Venkata Laxmi** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Chela Venkata Laxmi** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Chela Venkata Laxmi**, resident of **H.No. 1-177/1/A, Chinnaboinapally Village, Eturnagaram Mandal, Jayashankar Bhupalpally District-506165**, and a contesting candidate from **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

आ.अ. 196.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/66/2018 के तहत तेलंगाना की **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2018 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ली** जिला, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत दिनांक **23 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **बुरका चीना वैकटय्या**, जो तेलंगाना के विधान सभा निर्वाचन, 2018 में **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम,

1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **बुरका चीना वैकटय्या** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/तेलं-वि.स./2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **बुरका चीना वैकटय्या** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** को अपने निर्वाचन व्यय का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** ने बताया है कि **बुरका चीना वैकटय्या** को उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयशंकर भुपालपल्ले** ने दिनांक 21.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि **बुरका चीना वैकटय्या** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **बुरका चीना वैकटय्या** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **बुरका चीना वैकटय्या** अपने निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि तेलंगाना विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तेलंगाना राज्य के **109-मुलुग (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **बुरका चीना वैकटय्या** निवासी- मकान नं. 1-17, गांव : गंगाराम, मंडल: गंगाराम, महाबूबाबाद जिला-506135, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/तेलं.-विस /2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2021

O.N. 196.—WHEREAS, the General Election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency of Telangana, 2018 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06th October, 2018; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th December, 2018 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was

10th January, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **23rd January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** District, Telangana, **Burka China Venkataiah**, a contesting candidate from **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency, 2018 from Telangana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/TEL-LA/2019, dated 17th July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Burka China Venkataiah** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Burka China Venkataiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally**, has reported that the said notice was served to **Burka China Venkataiah** on **18.08.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jayashankar Bhupalpally** in his supplementary report, dated **21.06.2021** reported that **Burka China Venkataiah** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Burka China Venkataiah** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Burka China Venkataiah** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Burka China Venkataiah**, resident of **H. No. 1-17, Village: Gangaram, Mandal: Gangaram, District: Mahabubabad-506135**, and a contesting candidate from **109-Mulug (ST)** Assembly Constituency of the State of Telangana in the General Election to Legislative Assembly, 2018 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/TEL-LA/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.